

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- ओमप्रकाश सहारण R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 4/2018

दायर तारीख 03/05/2018

निर्णय

दिनांक 01/05/2019

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा ने रा0 प्रा0 वि0 कुम्हारियावास गुर्जर घोडा की ढाणी तक जाने के रास्ते हेतु ग्राम कूपाकाबास के खसरा नम्बर 550, 556, 646,699,700,697,915,916,917,920,925 के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त खसरा नम्बरान राजस्व ग्राम कूपाकावास के खसरा नम्बर 550, 556, 646,699,700,697,915,916,917,920,925 से रा0प्रा0वि0 कूपाकाबास से गुर्जर घोडा की ढाणी की तरफ आने जाने के आम रास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है। अतः उक्त रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप-6) राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र प. (2)राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमाये।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया व तहसीलदार, तहसील कोटखावदा व खातेदारान को सुना गया, तो खातेदारान द्वारा रास्ता दर्ज किये जाने की सहमति किया जाना जाहिर किया व तहसीलदार, तहसील कोटखावदा ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक, नक्शा ट्रेस, उपरोक्त खसरा नम्बरान की जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 आदि पेश किये गये।
3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानो का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया वाके ग्राम कूपाकाबास तहसील कोटखावदा में स्थित खसरा नम्बर 550, 556, 646,699,700,697,915,916,917,920,925 की किस्म बंजड-2 दर्ज है, जो रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिसकी किस्म बारानी 2 दर्ज होने से उक्त खसरा नम्बर को आम रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

आदेश

अतः प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कोटखावदा का हस्तगत प्रार्थना पत्र द्वारा उक्त रास्ते खसरा नम्बर उपरोक्त रकबा.....है0 में से 0.38 है0 में रा0प्रा0वि0 कूपाकाबास से गुर्जर घोडा की ढाणी महादेवपुरा तक बने चालू रास्ते को राजस्व रिकार्ड में आम रास्ता दर्ज किया जावे। रास्ते में दर्ज खसरा नम्बर व रकबा पूर्वानुसार यथावत रहेगा। इस प्रकार खसरा नम्बर 550/0.04, 556/0.05, 699/0.02, 700/0.01, 697/0.05, 915/0.01, 916/0.03, 917/0.02, 920/0.02, 925/0.01 में से 0.26 है0 आम रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 03/05/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
चाकसू जिला जयपुर